[1][नियम 154 : माल या प्रवहण और चल या अचल संपत्ति के विक्रय की प्रक्रियाओं का निपटान

(1) व्यतिक्रमी से शोध्यों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए माल या प्रवहण चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई रकम,–

(क) पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के प्रति विनियोजित की जाएगी;

(ख) इसके बाद यथास्थिति धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली रकम या उसके अधीन संदेय शास्ति के संदाय के प्रति विनियोजित की जाएगी;**(ग)**

इसके बाद इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन या त)ीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी रकम के प्रति विनियोजित की जाएगी; और

(घ) अतिशेष, यदि कोई हो, यथास्थिति, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जहां उक्त व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है वहां उक्त रकम संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी;

(2) उप–नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमों का अतिशेष का संदाय करना संभव नहीं है वहां विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा।]

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 40/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा नियम 154 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"नियम 154 : माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन

किसी व्यतिक्रमी से शोध्य की वसूली के लिए, माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें,–

(क) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरू) विनियोजित की जाएगी(

(ख) तत्पश्चात् वसूली की जाने वाली रकम के विरू) विनियोजित की जाएगी(

(ग) तत्पश्चात् अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या संघ राज्यक्षेत्र और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या किसी राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य रकम के विरू) विनियोजित की जाएगी(और

(घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरू) विनियोजित की जाएगी।"